



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195

फोन-(0135)-2970866, 2970867, फैक्स-(0135)-2970859, 2970865

Email : agaeuttarakhand@cag.gov.in, Website : www.agua.cag.gov.in

पत्रांक : 73 / प्रशा0-II / ए.जी.यू.के.(ले0एवंहक0) / विविध पत्राचार / 2022-2023 / 17

दिनांक : 11.05.2022



कार्यालय आदेश

प्रयः यह देखने में आया है की खंडीय लेखाकार संवर्ग के कुछ कार्मिक बिना किसी उचित कारण के अथवा बिना किसी कार्य के कार्यालय महालेखाकार परिसर में देखे गये है तथा इस सम्बन्ध में कई बार विभिन्न अधिशासी अभियंताओं द्वारा भी इस कार्यालय को शिकायत की गयी है कि खंडीय लेखाकार संवर्ग के कार्मिक बिना पूर्व अनुमति के अपने कार्यस्थल/सम्बन्धित खण्ड से अनुपस्थित रहते है, जो कि स्वीकार्य नहीं है ।

कार्यालय द्वारा इस प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है एवं इस विषय में खंडीय लेखाकार संवर्ग के सभी कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सम्बन्धित संवर्ग का कोई भी कार्मिक बिना किसी उचित कारण के कार्यालय महालेखाकार परिसर में भौतिक उपस्थिति न दें एवं बिना अनुमति अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित नहीं रहें। खंडीय लेखाकार संवर्ग के कार्मिकों को अपने तैनाती खण्ड/मुख्यालय को छोड़ने से पूर्व खण्ड से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक है। यदि किसी अपरिहार्य कारण से इस कार्यालय में उपस्थित होना हो अथवा किसी उच्च अधिकारी से मिलना हो, तो कार्यालय को ई-मेल भेजकर कार्यालय से प्राप्त नियत तिथि एवं समय पर ही कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं।

हस्ता0/-

वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन

पत्रांक : 73 / प्रशा0-II / ए.जी.यू.के.(ले0एवंहक0) / विविध पत्राचार / 2022-23 / (440-443)

दिनांक : 11.05.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिवालय/महालेखाकार (प्रकोष्ठ), कार्यालय महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आई0टी0एस0जी0 अनुभाग को इस आशय से की वे उपरोक्त कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट में खण्डीय लेखाकार संवर्ग कार्नर में अपलोड करने की व्यवस्था करें।
4. समस्त खण्डीय लेखाकार संवर्ग के कार्मिकों को कार्यालय की वेबसाइट में खण्डीय लेखाकार संवर्ग कार्नर के माध्यम से सूचनार्थ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रशासन-II